

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 496]

रायपुर, शनिवार, दिनांक 26 अक्टूबर 2013 — कार्तिक 4, शक 1935

गृह विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 अक्टूबर 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ 3-87/2011/गृह-दो. — दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का अधिनियम क्रमांक-2) की धारा 357-ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्वारा पीडित क्षतिपूर्ति योजना वर्ष 2011 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

1. अनुसूची के क्रमांक 2 में शब्द “एसीड अटैक” के पश्चात् शब्द “के कारण शरीर के अंग या भाग के 80 प्रतिशत या इससे अधिक विकलांगता या गंभीर क्षति” विलोपित किया जाता है तथा “50 हजार” के स्थान पर “3.00 लाख (रुपये तीन लाख मात्र) (न्यूनतम)” प्रतिस्थापित किया जाता है.

नोट :-

- (अ) ऐसी घटना के पीड़ितों को रु. 1 लाख घटना घटित होने के (अथवा राज्य सरकार के संज्ञान में आने में के) 15 दिनों के भीतर भुगतान किया जाएगा.
- (ब) शेष राशि रु. 2 लाख यथाशीघ्र परन्तु अनिवार्यतः उसके बाद दो महीनों के भीतर भुगतान किया जाएगा.
2. अनुसूची के क्रमांक 3 की प्रविष्टियाँ विलोपित की जाती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. के. माथुर, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 26 अक्टूबर 2013

क्रमांक एफ 3-87/2011/गृह-दो .— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 26-10-2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. के. माथुर, उप-सचिव.

Raipur, the 26th October 2013

NOTIFICATION

No. F 3-87/2011/Home-Two . — In exercise of powers conferred by Section 357-A of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974), the Governor of Chhattisgarh hereby make the following amendment in the Victim Compensation Scheme-2011.

AMENDMENT

1. In the Schedule of the said scheme : At Serial No. 2, before word Acid Attack "Loss of limb or part of body resulting 80% or above handicap or serious injury due to", shall be deleted and " Rs. 3.00 Lac (Minimum)" substituted in place of "50 Thousand."

Note :-

- (A) A sum of Rs. 1 Lac shall be paid to such victim within 15 days of occurrence of such incident (or being brought to the notice of the State Government).
- (B) The balance sum of Rs. 2 Lac shall be paid as expeditiously as may be possible and positively within two months thereafter.
2. All entries at Serial No. 3 shall be deleted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
D. K. MATHUR, Deputy Secretary.